श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/ 10255 इन्दौर, दिनांक 28 /मार्च/2025

अधिसूचना

विषय – न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दि. 01.04.25 से 30.09.2025 तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

संदर्भ - माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024 एवं क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20मार्च,2025 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 1.04.2025 से 30.09.2025 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें ।

-0-

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्तामूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001= 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 (जनवरी से जून,2019) 2001=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुशल श्रमिक रूपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रूपये 1750/- को पुनरीक्षित न्युनतम वेतन दरों में जोडकर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें पुनरीक्षित की गई है। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसंबर,2024 की छः माही का औसत सूचकांक 413 रहा है, अतः इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (402) के उपर (413-402) = 11 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप **दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक** जारी दरें निम्नानुसार रहेगीः-

अनुसूची – अ (खण्ड-ब)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	**9575**	368.27	**2550**	98.08	**12125**	466.35	**466**
अर्द्धकुशल	**10571**	406.58	**2550**	98.08	**13121**	504.66	**505**
कुशल	**12294**	472.85	**2550**	98.08	**14844**	570.93	**571**
उच्चकुशल	**13919**	535.35	**2550**	98.08	**16469**	633.43	**633**

अनुसूची –ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से)

(आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466
पेकर, पटटी पेकर, सीपर	10131	389.65	2550	98.08	12681	487.73	488
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2550	98.08	16203	623.20	623
उच्चकुशल	13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633
कटर्स	14444	555.54	2550	98.08	16994	653.62	654

अनुसूची –स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466
श्रेणी एक	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
श्रेणी दो	10571	406.58	2550	98.08	13121	504.66	505
उच्च कुशल	13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	13856	532.92	2550	98.08	16406	631.00	631
श्रेणी दो	13473	518.19	2550	98.08	16023	616.27	616
श्रेणी तीन	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
श्रेणी दो	10571	406.58	2550	98.08	13121	504.66	505

अनुसूची –द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसंबर,2024 छ:माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1308 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1265 था, जिसके कारण 43 औसत बिन्दु की वृद्धि होने से रू.6/- प्रति बिन्दु की दर से मंहगाई भत्ते में रू.258/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :-

(30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	**7660**	255.33	**2268**	75.60	**9928**	330.93	**331**

अनुसूची –क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	**9575**	319.17	**2550**	85.00	**12125**	404.17	**404**
अर्द्धकुशल	**10571**	352.37	**2550**	85.00	**13121**	437.37	**437**
कुशल	**12294**	409.80	**2550**	85.00	**14844**	494.80	**495**
उच्चकुशल	**13919**	463.97	**2550**	85.00	**16469**	548.97	**549**

<u>बीडी नियोजन</u>

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) के औसत के उपर 2573 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक **01.04.2025 से 31.3.2026** तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची – ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	**न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें**	**परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये**	**कुल वेतन रूपये**
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	106.81	25.73	132.54

नोट – एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रूपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रूपये 59 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रूपये 63 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रूपये 92 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 164 रूपये 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से 13 रूपये 92 पैसे एवं नियोजकों से भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रूपये 92 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 136 रूपये 84 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के विगत छ:माही के औसत सूचकांक 400 के उपर माह जनवरी से जून,2024 के औसत सूचकांक में 02 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची –एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	44.25	रू. 25.50	रूपये 69.75
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	45.00	रू. 25.50	रूपये 70.50

अनुसूची–अ (खण्ड-अ)

03 नवीन अनुसूचित नियोजन (परिशिष्ट-स) में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	4000	153.85	10500	403.85	404
अर्द्धकुशल	7057	271.42	4300	165.38	11357	436.80	437
कुशल	8435	324.42	4300	165.38	12735	489.80	490
उच्चकुशल	9735	374.42	4300	165.38	14035	539.80	540

स्पष्टीकरण –

1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर,2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

3- राज्य शासन द्वारा दिनांक 04 मार्च,2024 को जारी एवं म.प्र.असाधारण राजपत्र दिनांक 04 मार्च,2024 में प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई है।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर